



## AI AIRPORT SERVICES LIMITED

(Formerly known as AIR INDIA AIR TRANSPORT SERVICES LIMITED)

Regd. Office: 2<sup>nd</sup> Floor, GSD Building, Air India Complex, Terminal-2, IGI Airport, New Delhi-110037, India  
CIN : U63090DL2003PLC120790

Ref. No.: AIASL/NR/DED /JR.CSE/126

Date – 27-05-2024

To,  
Name – Rajat Panwar  
Station - Dehradun  
Mobile No – 9997968907  
Dear Sir/Madam,

### Sub: Recruitment for the post of "JR.Customer Service Executive"

With reference to your application for the post of JR.Customer Service Executive in AIASL, and your further consent by way of appearing for and Personal Interview, we have pleasure in offering you the said post in AI Airport Services Limited at Dehradun on Fixed Term Contract basis on Rs.21270 /- p.m. on the following terms and conditions. The place of your deployment will be communicated to you later.


1. You will be required to execute and sign the Contract. You will be governed by the terms and conditions mentioned in the said contract.
2. In case you are in employment elsewhere, you will not be allowed to claim the protection of your pay, which you were drawing in your previous Organization. Obviously, there will not be any re-fixation of your salary on the basis of the salary last drawn by you in your earlier Organization.
3. You may be required to serve in the Company at any of its stations, in India as per the requirements of this Company.
4. For Scheduled Castes candidates only : As the post in which you are being appointed is reserved for Scheduled Caste candidate, your appointment is subject to your being a member of a Scheduled Caste as listed in the "Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Lists) Modification Order 1956" read with the Scheduled Caste / Scheduled Tribe Order (Amendment) Act, 1976 and the applicable Act/constitution Order, while professing either the Hindu or Sikh Religion. Also if you were originally professing Hindu Religion (SC) and subsequently embraced Neo-Buddhism, will be appointed against the post reserved for Scheduled Caste. You should inform us of the change, if any, or your religion, immediately after such a change.
5. For Scheduled Tribes candidates only: As the post in which you are being appointed is reserved for Scheduled tribe candidate, your appointment is subject to your being a member of a Scheduled Tribe as listed in the "Scheduled Castes/Scheduled Tribes (Lists) Modification Order, 1956" read with the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976 and the applicable Act/Constitution Order.

# कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) हरिद्वार

आदेश संख्या: प्र०रा०बे०/ 144(53) /नियुक्ति(प्रा०शि०)/2024-25 दिनांक 14 अगस्त 2024  
नियुक्ति आदेश

शासनादेश संख्या-214145/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 29 मई 2024 के द्वारा उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 2012 यथा संशोधित 2018 एवं अधिसूचना संख्या-209035/XXIV-A-1/2024-49375/2023 दिनांक 06 मई 2024 द्वारा 'उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक)(संशोधन) सेवा नियमावली-2024' के अधीन निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेडा देहरादून के पत्रांक: प्रा०शि०दो-(2)785-2024/3718-21/2024-25 दिनांक 07 जून 2024 के क्रम में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या-54 दिनांक 10 जून 2024 एवं संशोधित विज्ञप्ति संख्या-227 दिनांक 12 जुलाई 2024 एवं पत्रांक: प्रा० शि०दो(2)/788(II)-2024/8801/2024-25 दिनांक 01 अगस्त 2024 के अनुसार जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनोपरान्त सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के कुल 149 सामान्य पदों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित नियमों के अधीन उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में अंकित दुर्गम श्रेणी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक (वेतनकम 35400-112400, लेवल-06) के पद पर 02 वर्ष के परीक्षाकाल पर अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है। नव नियुक्त सहायक अध्यापकों को आंवटित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है तथा किसी भी समय 01 माह पूर्व नोटिस अथवा 01 माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। नियुक्ति शासनादेश संख्या/21/XXVII(7)/अ.पै.यो./2005 दिनांक 25.10.2005 से आच्छादित होगी, अर्थात् राजकीय सेवा में नई परिभाषित पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अपने अभ्यर्थन में कोई तथ्य छिपाया गया है तो संज्ञान में आने पर विभागीय नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

क्र० सं०	नाम अभ्यर्थी	पिता/पति का नाम	पत्र व्यवहार का पता	जन्म तिथि	आंवटित विद्यालय /विकासखण्ड का नाम	जाति वर्ग / आरक्षण श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1	कौशिक तिवाड़ी	ललित प्रसाद	ग्राम पुनीवाला, पो० बडोगल, जिला देहरादून 248143	24-08-1999	रा०प्रा०वि० भिक्कमपुर जीतपुर, लक्सर	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

  
 (आशुतोष भण्डारी)  
 जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)  
 हरिद्वार। 14-8-24  
 दिनांक उक्तवत्।

पृ०सं०: प्र०रा०बे०/ 2605-15 /नियुक्ति(प्रा०शि०)/2024-25  
 प्रतिलिपि: निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
4. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार।
6. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, रुड़की, हरिद्वार।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद हरिद्वार।
8. वित्त एवं लेखाधिकारी, जनपद हरिद्वार।

—:आदेश:—

सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र सं०-273/11-3/डी०आर०/कनि० सहा०/2022-23 दिनांक 16 फरवरी, 2024 के द्वारा कनिष्ठ सहायक परीक्षा-2022 के घोषित परिणाम दिनांक 05 फरवरी, 2024 के क्रम में जिला पूर्ति कार्यालय चमोली हेतु की गई संस्तुति एवं जिलाधिकारी महोदय, चमोली के अनुमोदन दिनांक 26.07.2024 के द्वारा गठित समिति द्वारा शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन एवं जाँचोपरान्त निम्न 07 (सात) चयनित अभ्यर्थियों को उपयुक्त पाया गया।

उक्त के आधार पर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत जिला पूर्ति कार्यालय, चमोली में कनिष्ठ सहायक के रिक्त पदों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, हरिद्वार, कनिष्ठ सहायक परीक्षा-2022 के माध्यम से कनिष्ठ सहायक के पद पर चयनित निम्न अभ्यर्थियों को वेतनमान रू०-21700-69100 स्लेब-3 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन पूर्णतः अस्थायी/औपबन्धिक रूप से जिला पूर्ति कार्यालय, चमोली में नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

क्र०स०	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पिता/पति का नाम	गृह जनपद/पता
01:-	श्री संदीप सिंह रावत	श्री वीरेंद्र सिंह रावत	42/6 आई०आर०आई० कालौनी रुड़की जनपद हरिद्वार
02:-	श्री संतोष सिंह	श्री रविन्द्र सिंह	ग्राम दोगड़ी काण्डई पो० ओ० टंगसा जनपद चमोली
03:-	श्री रविन्द्र सिंह	श्री सुरेंद्र सिंह	ग्लास हाउस बुगानी श्रीनगर जिला पौड़ी
04:-	श्री दीपक कुमार भट्ट	श्री अशोक कुमार भट्ट	लैन न०-7 दून पब्लिक स्कूल भानियावाला जनपद देहरादून
05:-	श्री नितिन कण्डारी	श्री मनवर सिंह कण्डारी	ग्राम पैनी कुजासू जनपद चमोली
06:-	श्री पारस कोरी	श्री अरविन्द कोरी	ग्राम व पो० दौलतपुर हरिद्वार जनपद हरिद्वार
07:-	कु० नीमा	श्री रणजीत सिंह	ग्राम लोल्टी थराली जनपद चमोली

1- उक्त नियुक्ति शासनादेश सं०-198267/XXX(2)2024-E70552 दिनांक 13 मार्च, 2024 तथा उत्तराखण्ड अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भती) नियमावली, 2004 संशोधन नियमावली, 2013 में उल्लेखित प्राविधानों एवं शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली निम्न सेवा-शर्तों से विनियमित होंगी-

2- अभ्यर्थी को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

3- यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी तथा औपबन्धिक है। यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र/पूर्ववृत्त के सत्यापन पूर्व सेवा में की गयी सेवाओं के अनुभव प्रमाण पत्रों तथा शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो यह नियुक्ति उत्तराखण्ड अस्थायी सेवक (सेवा समाप्ति) नियमावली, 2003 के अनुसार निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में विधिक रूप से किसी भी मा० न्यायालय में अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा तथा वे किसी भी मा० न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होंगे।

3- नव नियुक्त, कनिष्ठ सहायक 15 (पन्द्रह) दिन के भीतर योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। यदि उपरोक्त अवधि से पूर्व अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करेंगे तो समझा जायेगा कि आप उक्त सेवा में जाने के इच्छुक नहीं हैं एवं आपका अभ्यर्थन स्वतः ही समाप्त माना जायेगा।

4- नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने हेतु की गई यात्रा के लिये कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

5- उक्त सेवा संवर्ग के अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार से प्राप्त वरिष्ठता सूची के आधार पर सुसंगत नियमों के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(क्रमशः-02)

CSML/HR/CL/03/2023-24

Date - 22/9/2023

To,

**Ms. Shakeela Husain,**

Ward No-6,  
Narendra Nagar,  
Tehri Garhwal,  
Uttarakhand.

**Subject - Confirmation letter**

Dear **Ms. Shakeela,**

Consequent to the review of your performance during probation period **25<sup>th</sup> March 2023 to 25<sup>th</sup> September 2023** we have the pleasure in informing you that, your services are being confirmed as a **Guest Relationship Executive** with the effect from **26<sup>th</sup> September 2023**.

You would need to abide to all rules and regulations as mentioned to in the company handbook.

We look forward to your valuable contributions and wish you all the very best for rewarding career with organization.

Please sign the duplicate copy of this letter as a token of acceptance of the same.

**For Complete Sports & Management [I] Pvt. Ltd**

  
Authorized Signatory

**Human Resources Department**

**COMPLETE SPORTS & MANAGEMENT INDIA PVT LTD**

Ring Road, Chintamani Plaza, A. K Road, Chakala, Andheri (E), Mumbai - 400099.

022166 / 49739659 ✉ sales@csmlindia.com 🌐 www.csmlindia.com

J92410MH2002PTC138419

Member of



**Brunsw**

SALES | SERVICE |